न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 33 / 2017 जिला दौसा

भैंरू दत्तक पुत्र गैंन्दा लाल उम्र 55 वर्ष, जाति माली, निवासी बीजलवास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. कमला पुत्री स्व. गैंदा लाल पत्नी जगदीश , जाति माली, निवासी बगत्यावालों की ढाणी, वार्ड संख्या 4, तालेडा जमात, कस्बा लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये –तहसीलदार तहसील लालसोट ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 7.4.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री कृष्ण मुरारी शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजकुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक– 25.9.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 7.4.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 24.7.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि ग्रम बीजलवास, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 102/28 रकबा 154 बीघा 10 बिस्वा में से 1/8 हिस्से एवं खसरा नम्बर 25 रकबा 2.07 का खातेदार गेन्दा वल्द गोरू कौम माली था , जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 202 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 10.7.2006 को कमला पुत्री गैंदा कौम माली के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट भैंरू पि.मु. गैंन्दा द्वारा प्रथम अपील दिनांक 27.6.2010 को अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.4.2017 द्वारा अपीलान्ट ने गैंन्दा पुत्र गौरू, जाति माली, निवासी बीजलवास के दत्तक पुत्र होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री जगदीश माली द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर की गई कार्यवाही के अवलोकन करने पर भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अपीलांट भैंरू द्वारा गेंन्दा के गोद जाने का कोई सबूत रजिस्टर्ड गोदनामा पंचनामा आदि पेश नहीं किये जाने से मुताबिक रिपोर्ट विकास अधिकारी प्रकरण में अपीलांट का राशन कार्ड निरस्त किये जाने व मतदाता सूची में से नाम हटाने की कार्यवाही की गई । ग्रम पंचायत गांगल्यावास, पंचायत समिति लालसोट द्वारा भी रेस्पोंडन्ट नं. 1 को उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार ग्रम पंचायत के लेटर पैड पर भैंरू पुत्र गेन्दा के सजरे संबंधित कोई रिकार्ड ग्रम पंचायत में उपलब्ध नहीं है । उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये खारिज की है ।

अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 7.4.2017 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 7.4.2017 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को मृतक गेन्दा के विधिक वारिसान की सही ढंग से समुचित जॉच कर विधिसम्मत निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट का दत्तक पिता गैंन्दा माली था जिसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 102/28 रकबा 154 बीघा 10 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा थी । अपीलान्ट उसके दत्तक पिता गैंन्दा की उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । अपीलान्ट के दत्तक पिता गैंन्दा के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 202 तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार लालसोट ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा न ही मृतक के विधिक वारिसान की जॉच की गई ओर अपीलान्ट को छोडते हुये केवल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कमला के नाम दिनांक 10.7.2006 को नामांतरकरण तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि उक्त नामांतरकरण दिनांक 8.6.2006 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसकी जॉच गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 15.6.2006 को की गई । प्रश्नगत नामांतरकरण विधिक रूप से 45 दिन तक तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ग्रम पंचायत को था, लेकिन ग्रम पंचायत के समक्ष नामांतरकरण तस्दीक हेतु प्रस्तुत किये बिना ही गुप्त रूप से तहसीलदार लालसोट से दिनांक 10.8.2006 को स्वीकृत करवा लिया । तहसीलदार द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने व बिना वारिसान की जॉच व कब्जे की जॉच किये प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । अपीलान्ट द्वारा अपने दत्तक पिता गैंन्दा की जीवन पर्यन्त सेवा की है एवं गैंन्दा द्वारा अपने जीवनकाल में ही पत्नि की सहमति से अपीलान्ट को गोद भलिया था जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को भलिभांति थी । उनका कहना था कि अपीलान्ट का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट से दिनांक 5.11.2012 को निर्णित हो चुका है । पक्षकारान के मध्य वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण होना है । उनका कहना था कि ग्रम बीजलवास पंचायत सर्किल गांगल्यावास की मतदाता सूची वार्ड संख्या 7 में भी अपीलान्ट का नाम क्रम संख्या 242 पर भैंरू पुत्र गैंदा दर्ज है तथा अपीलान्ट के परिवार राशन कार्ड संख्या 00178 में भी अपीलान्ट का नाम भैंरू पुत्र गैंन्दा अंकित है एवं आधार कार्ड भी इसी नाम से है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावें तथा मृतक के विधिक वारिसान की सही ढंग से जॉच की जाकर पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मृतक खातेदार गैन्दा की जायन्दा पुत्री है ओर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में अपने पिता की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है । तहसीलदार द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता गैंन्दा की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण विधिवत जॉच उपरान्त रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलान्ट मृतक खातेदार गैन्दा का दत्तक पुत्र बनकर भूमि हडपना चाहता है । अपीलान्ट द्वारा फर्जी एवं अपंजीकृत दस्तावेजात तैयार करवाकर प्रस्तुत किये हैं, जो विधिक रूप से साक्ष्य के रूप में ग्रह्य नहीं किये जा सकते । उक्त फर्जीवाडे की जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को होते ही रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के विरूद्ध जरिये इस्तगासा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2012 पुलिस थाना रामगढ पचवारा में दर्ज करवाई थी जिसमें न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लालसोट द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लेकर अपीलान्ट व उसके साथियों को गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया है । उनका कहना था कि दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरकारी कार्यवाही में तय नहीं हो सकता । राजस्व न्यायालय को दत्तक के संबंध में अधिकार तय करने का अधिकार नहीं है । दत्तक एवं गोद के संबंध में अधिकारों का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है । उनका कहना था कि अपीलान्ट को कभी भी गैन्दा ने गोद नहीं लिया । अपीलान्ट द्वारा फर्जी तरीके से कांट छांट कर राशनकार्ड एवं वोटर आईडी बनवा लिये थे तथा वोटर लिस्ट में भी गलत तरीके से नाम अंकित करवा लिया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की अपील करीबन 4 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित था । उनका कहना था कि अपीलान्ट के अपने प्राकृतिक पिता झूंथा की मृत्यु उपरान्त एक हिस्से का नामांतरकरण अपने हक में खुलवाया है एवं भैंरू पुत्र झूंथा के नाम से किसान केडिट कार्ड बनवा रखा है एवं प्राकृतिक पिता झूंथा के नाम से राशनकार्ड बनवा रखा है व ग्राम पंचायत गांगल्यावास से नरेगा योजना में कार्य करने हेतु जोब कार्ड भी अपने प्राकृतिक पिता झूंथा के नाम से बनवा रखा है, जो इस तथ्य को साबित करता है कि अपीलान्ट कभी भी गैंन्दा के गोद नहीं गया । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मृतक खातेदार गैन्दा की जायन्दा पुत्री है ओर उसके नाम तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है एवं प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.4.2017 द्वारा खारिज की है, जो उचित एव विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार गैंन्दा की विरासत के नामांतरकरण का है । अपीलान्ट भैंरू मृतक खातेदार गैन्दा के दत्तक पुत्र के आधार पर गैन्दा की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम खुलवाना चाहता है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कमला पुत्री गैन्दा के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.4.2017 द्वारा अपीलान्ट ने गैंन्दा पुत्र गौरू, जाति माली, निवासी बीजलवास के दत्तक पुत्र होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री जगदीश माली द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर की गई कार्यवाही के अवलोकन करने पर भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अपीलांट भैंरू द्वारा गेंन्दा के गोद जाने का कोई सबूत रजिस्टर्ड गोदनामा पंचनामा आदि पेश नहीं किये जाने से मुताबिक रिपोर्ट विकास अधिकारी प्रकरण में अपीलांट का राशन कार्ड निरस्त किये जाने व मतदाता सूची में से नाम हटाने की कार्यवाही की गई । ग्राम पंचायत गांगल्यावास, पंचायत समिति लालसोट द्वारा भी रेस्पोंडेन्ट नं. 1 को

उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार ग्रम पंचायत के लेटर पैड पर भैंरू पुत्र गेन्दा के सजरे संबंधित कोई रिकार्ड ग्रम पंचायत में उपलब्ध नहीं है । उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये खारिज की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पक्षकारान के मध्य मृतक खातेदार गैन्दा की विरासत का विवाद है । अपीलान्ट मृतक गैन्दा के दत्तक पुत्र के आधार पर उसकी भूमि में हिस्सा चाहता है जबकि तहसीलदार लालसोट द्वारा गैंदा की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक गैन्दा की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कमला के नाम तस्दीक किया है । दत्तक पुत्र के संबधं में विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकारी के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन, हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । विधि का यह तयशुदा सिद्धान्त है कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तहसीलदार वसियत/दत्तक के जटिल तथ्य तय नहीं कर सकते । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक गैन्दा की प्राकृतिक विधिक वारिस उसकी पुत्री है, जिसके नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है । अपीलान्ट के यदि मृतक खातेदार गैन्दा के दत्तक पुत्र के आधार पर यदि कोई अधिकार बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है । नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में दत्तक के विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न तय नहीं हो सकते क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट भैंरू की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.4.2017 द्वारा खारिज की है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 25.9.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर